



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.

/14 निगरानी R-2092-2114

दिनांक 10.7.14 को
श्री प्रदीप श्रीवास्तव
कोर्ट इलाहाबाद

10.7.14
A.S.O

श्रीमती अनीता कटारे पत्नी प्रदीप कटारे
जाति ब्राह्मण आयु 37 वर्ष व्यवसाय
गृहकार्य निवासी ग्राम रिठौराकला, तहसील व
जिला मुरैना (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरुद्ध

1. बालकिशन शर्मा आयु 52 साल पुत्र
वृन्दावन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी
ग्राम सबदलपुर, तहसील व जिला
मुरैना (म.प्र.)
2. ब्रजमोहन शर्मा आयु 42 साल पुत्र
वृन्दावन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी
ग्राम सबदलपुर, तहसील व जिला
मुरैना (म.प्र.)
3. रामनरेश शर्मा आयु 38 साल पुत्र
वृन्दावन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी
ग्राम सबदलपुर, तहसील व जिला
मुरैना (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 16.6.14 जिसे अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग मुरैना
ने अपने यहां के प्रकरण क्रमांक 85/10-11 अपील माल
में पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2092-एक/2014

जिला मुरैना

अनीता

विरुद्ध

बालकिशन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के नाम
11-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुरैना जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 85/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 16-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	

3

(आर.क.जैन) 11. 3.19
सदस्य